2019
00344

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 214/2019

सरकार वनाम 1. सरकार तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,68 भू–अभिलेख नियम 1970.

दिनांक:–.07.11.2019

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम **तिरसिंगडी** का **खसरा न** 383 वक्त सेटलमेट गैर मुमकिन भाखर था जो बाद मे चारगाह हेतु दर्ज हो गया। ग्राम तिरसिंगडी सोढा में खसरा न. 383 क्षेत्रफल 32–11 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन पहाड स्थित है। वक्त बंदोदस्त खतौनी खाता संख्या 172 में उक्त खसरान भूमि में किस्म 'भाकर' दर्ज है। सवंत् 2058 से 2061 में राजस्व रेकर्ड कम्प्युटरीकरण किया गया। तब ग्राम तिरसिंगडी सोढा की कम्प्युटरीकृत जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 मे खसरा न. 383 क्षेत्रफल 33–011 बीघा भूमि मे वर्गीकरण के कालम संख्या 7 में यह भूमि 'गै. मु. पहाड' अंकित है, किन्तु इसी जमांबदी के कालम संख्या 4 में पहाडी तथा पर्वत अंकित करते हुए लिपिकीय भूलवंश इस प्रविष्टी के आगे कोष्टक में 'चारागाह हेतु ' प्रविष्ट कर दिया है जो त्रुटीपूर्ण इन्द्राज है। इस त्रुटिपूर्ण की गई प्रविष्टी को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः ग्राम तिरसिंगडी सोढा में खसरा न. 383 वर्तमान क्षेत्रफल 32–11 बीघा से सबंधित अभिलेख जमाबंदी के कालम संख्या 4 में प्रविष्ट इन्द्राज पहाडी तथा पर्वत यथावत रखते हुए आगे कोष्टक में अंकित प्रविष्टी 'चारागाह हेतु ' हटाकर इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश फरमावे।

उपस्थित सरकारी पैरोकार को सुना। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से ग्राम तिरसिंगडी सोढा में खसरा न. 383 वर्तमान

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

क्षेत्रफल 32–11 बीघा से सबंधित जमाबंदी के कालम संख्या 4 मे इन्द्राज पहाडी व पर्वत को यथावत रखा जाता तथा आगे अंकित कोष्ठक में प्रविष्टी 'चारागह हेतु' को हटाया जाने का आदेश देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तिरसिंगडी सोढा में खसरा न. 383 वर्तमान क्षेत्रफल 32–11 बीघा से सबंधित जमाबंदी के कालम संख्या 4 मे इन्द्राज पहाडी व पर्वत को यथावत रखते हुए आगे अंकित कोष्टक में प्रविष्टी 'चारागह हेतु' हटाकर इन्द्राज करने तथा इस प्रकार अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .07.11.2019 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner